

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक / / 2017 ई०।
संख्या: 12/प्रो०-09-03/2015 का० / झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के
श्री राजेश प्रसाद सिंह, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-105) (पी०बी० II रू० 9300-34800/-, ग्रेड
वेतन-रू० 4800), परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के
आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू० 6600)
में प्रोन्नति दी जाती है।

2. संबंधित नवप्रोन्नत पदाधिकारी को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 के आलोक में
पदभार ग्रहण करने के उपरांत प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(ओम प्रकाश साह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 12/प्रो०-09-03/2015 का० १०१२/ राँची, दिनांक- ०१/०३/ 2017 ई०।
प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।